

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH**W.P. No. 9885/2019***M/s Om Trading Company Vs. Deputy Commissioner of State Tax & others*

Gwalior, Dated:-27/08/2019

Ms. Monica Mishra, learned counsel for the petitioner.

Shri S.P. Jain, learned Panel Lawyer for the respondent/State.

Petitioner, a dealer registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017, allegedly purchased 8100Kg Clarified Butter (Ghee) through bill No. 53 on 31/07/2018 amounting to Rs.23,49,000/- and 1000 Tin of Clarified Butter through bill No. 54 amounting to Rs. 40,50,000/- from one M/s Marco International, Kachari Ghat, Agra, who allegedly issued e-way bill, was issued show cause notice on 05/10/2018 as it was found that the bill was without supply of goods in violation of stipulations contained in the Act of 2017. The notice was purportedly under Rule 21(b) of the Central Goods & Services Tax Rules 2017 which mandates that the Registration granted to the person is liable to be cancelled, if the person issued invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of the Act, or the rules made thereunder.

As the petitioner failed to prove his e-way bill transaction details, his registration has been cancelled by order dated 09/01/2019; whereagainst, the petitioner preferred an appeal under Section 107 of the Act of 2017. The Appellate Authority taking into consideration the entire facts on record affirm the order passed by the Deputy Commissioner of State Tax, holding:-

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

W.P. No. 9885/2019

M/s Om Trading Company Vs. Deputy Commissioner of State Tax & others

“... पाया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्त किये जाने के पूर्व अपीलार्थी को कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 05-10-2018 को जारी किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 09-01-2019 को अपीलार्थी का पंजीयन निरस्त किया गया है। पंजीयन निरस्तीकरण का मुख्य आधार डिप्टी कमिश्नर (वि. अनु. शा.) वाणिज्यिक कर रेंज ए, आगरा का पत्र दिनांक 29-08-2018 है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर (वि. अनु. शा.) वाणिज्यिक कर रेंज ए, आगरा द्वारा अपीलार्थी मेसर्स ओम ट्रेडिंग कम्पनी के संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा मेसर्स मार्को इंटरनेशनल आगरा से माल देशी घी क्रमशः रुपये 2349000/- एवं रुपये 4050000/- बिल क्रमांक 53 दिनांक 31-07-2018 एवं बिल क्रमांक 54 दिनांक 31-07-2018 से क्रय करना दर्शाया है। आगरा के विक्रेता व्यवसाई मेसर्स मार्को इंटरनेशनल आगरा के द्वारा विभागीय पोर्टल पर मुख्य व्यवसाय स्थल के अतिरिक्त तीन अन्य सीनों पर भी गोदाम घोषित किये गये हैं जिनमें से केवल एवं स्थान पर ही फर्म की व्यवसायिक गतिविधियाँ होना पाई गई तथा विक्रेता व्यवसाई मेसर्स मार्को इंटरनेशनल, आगरा की जांच के समय उक्त माह से संबंधित कोई नियमित प्रपत्र नहीं पाये गये। इसके अलावा मेसर्स आगरा-ग्वालियर पाथवेज प्रा0लि0 जाजव टोलप्लाजा, सैंया, आगरा से डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यिक कर रेंज, आगरा द्वारा सूचना प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त वाहन जिनके कि वाहन क्रमांक क्रमशः UP 83 T 0223 एवं वाहन क्रमांक HR 63 A 3341 हैं, निर्धारित तिथि को टोलप्लाजा से पास नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि क्रेता विक्रेता दोनों व्यवसाइयों द्वारा केवल प्रपत्रों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में माल का कोई परिवहन नहीं किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा माल से संबंधित जो कागजात प्रस्तुत किये हैं उनसे माल का वास्तविक आदान-प्रदान किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। सहायक आयुक्त, राज्यकर, ग्वालियर वृत्त तीन के निर्देश पर राज्यकर निरीक्षक, ग्वालियर वृत्त तीन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 05-12-2018 एवं पंचनामा में दर्शित पते पर अपीलार्थी का व्यवसाय संचालित होना प्रतीत होता है किन्तु उनके द्वारा उक्त संव्यवहार के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यिक कर रेंज, आगरा के प्रतिवेदन के आधार पर पंजीयन निरस्त किया गया है। जिसमें उनके द्वारा विक्रेता व्यवसाई मेसर्स मार्को इंटरनेशनल आगरा के व्यवसाय स्थल की जांच की गई तथा पाया गया कि विक्रेता द्वारा माल का वास्तविक विक्रय नहीं किया गया है। वास्तविक रूप से माल का आदान-प्रदान न करते हुए केवल प्रपत्रों का आदान-प्रदान किया गया है तथा टोलप्लाजा आगरा-ग्वालियर पाथवेज प्रा0लि0

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

W.P. No. 9885/2019

M/s Om Trading Company Vs. Deputy Commissioner of State Tax & others

जाजव सैंया, आगरा के रिकार्ड में भी उक्त वाहनों का निर्धारित तिथि को वहाँ से निकलना नहीं पाया गया है।”

Pertinent it is to note at this stage that before initiating proceeding against the petitioner, an information was received from the Deputy Commissioner, Commercial Tax, Range- A, Agra, whereby following information was sent to Joint Commissioner, Sales Tax, Gwalior:-

“निवेदन है कि इस इकाई के द्वारा सर्वश्री मार्को इण्टरनेशनल, 4/276/2, कचहरी घाट, आगरा G.S.T.N. 09ADGPJ5853K1Z4 सर्वश्री मैक एग्रोफूड, आगरा तथा सर्वश्री जय शिव इण्टरनेशनल, आगरा की वि०अनु०शा० जांच दिनांक 31.07.2018 को उच्चाधिकारियों के निर्देशन में की गयी थी। सर्वश्री मार्को इण्टरनेशनल, आगरा के द्वारा विभागीय पोर्टल पर मुख्य व्यापार स्थल के अतिरिक्त तीन अन्य स्थानों पर भी गोदाम घोषित किये गये हैं जिनमें से केवल एक स्थान पर ही फर्म की व्यापारिक गतिविधियां होती पायी गयी। उक्त व्यापारी के द्वारा आपके अधिक्षेत्र के व्यापारी सर्वश्री ओम ट्रेडिंग कम्पनी ग्वालियर G.S.T.N.23ADFPA8684G1ZM तथा सर्वश्री श्री जी इण्टरनेशनल, ग्वालियर, G.S.T.N.23ACWFS5780P1ZO को दिनांक 31.07.2018 में निम्न प्रकार बिक्री किया जाना प्रदर्शित किया गया है :-

S. No.	To GSTIN & Name	EWB No. & Dt.	Doc No. & Dt.	Assess Val.	Tax Val.	HSN Desc.	Truck No.
01	23ADFPA8684G1ZM/OM TRADING COMPANY, GWALIOR	421019927175-31/07/2018	53-31/07/2018	2349000	281880	LOOSE DESHI GHEE	UP83-T-0223
02	23ADFPA8684G1ZM/OM TRADING COMPANY, GWALIOR	491019930989-31/07/2018	54-31/07/2018	405000	486000	DESHI ghee	HR63-A-3341
03	23ACWFS780P1ZO/M/S	491019937667-31/07/2018	57-31/07/2018	390000	468000	DESHI ghee	RJ 05-GA-6572

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

W.P. No. 9885/2019

M/s Om Trading Company Vs. Deputy Commissioner of State Tax & others

	SHREE JEE INTERNAT IONAL, GWALIOR						
--	--	--	--	--	--	--	--

जबकि जांच के समय उक्त माल के सम्बन्ध में कोई नियमित प्रपत्र नहीं पाये गये। इसके अतिरिक्त मै0 आगरा ग्वालियर पाथवेज प्रा0 लि0, जाजऊ टोल प्लाजा, सैंया, आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त वाहन निर्धारित तिथि को टोल प्लाजा से नहीं निकले हैं जिससे यह स्पष्ट है। कि क्रेता-विक्रेता दोनों की व्यापारियों के द्वारा केवल प्रपत्रों का आदान-प्रदान किया जा रहा है वास्तव में माल को कोई परिवहन नहीं किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय पोर्टल पर जांच पर पाया गया कि मै0 मार्को इण्टरनेशनल के स्वामी श्री अंकुर जैन है, सर्वश्री श्रीजी इण्टरनेशनल ग्वालियर में श्रीमती रेखा जैन जो सर्वश्री मार्को इण्टरनेशनल की प्रोपराइटर है तथा सर्वश्री ओम ट्रेडिंग कम्पनी, ग्वालियर में श्रीमती अंजू अग्रवाल, जो सर्वश्री ओम फूड प्रोडक्ट में साझीदार हैं तथा उनके भाई सर्वश्री मैक एग्रो में प्रोपराइटर हैं, के स्वामित्व में चल रही है। इस प्रकार आगरा व आपके अधिक्षेत्र के व्यापारियों के द्वारा मिलकर करापवचन किया जा रहा है। अतः आप अपने स्तर से अपने अधिक्षेत्र की फर्मों की जांच कराते हुये इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा करें।”

It is this information which led the Competent Authority to initiate proceeding for cancellation of registration and passing an order of cancellation after affording opportunity of hearing to the petitioner.

When the impugned order is tested on the anvil of material on record and in absence of any cogent documentary evidence to prove that the bills in question were physically transferred from Agra to Gwalior, this Court does not find any error in the judgment rendered by the Deputy Commissioner as well as Appellate Authority, as would

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

W.P. No. 9885/2019

M/s Om Trading Company Vs. Deputy Commissioner of State Tax & others

warrant any indulgence.

Consequently, petition fails and is dismissed. No costs.

(Sanjay Yadav)
Judge

*Shubhankar**